

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 389915  
ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(नि0अ0)-102-72/2018

पटना, दिनांक 20/09/18

प्रेषक,

कैवल तनुज,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,  
बिहार ।

**विषय :-** 1 जनवरी, 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूह (Cluster) में निर्मित आवास जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण हैं, के निर्माण हेतु 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के कार्यान्वयन के लिए कोटिवार संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 1 जनवरी, 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूहों (Cluster) में निर्मित आवासों जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण हैं, के नव-निर्माण हेतु 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । इससे संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय विभागीय संकल्प संख्या- 386653 दिनांक-30.08.2018 से संसूचित है । इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के योग्य लाभुकों को लाभान्वित कराया जाना है । इससे संबंधित विभागीय पत्रांक-383993 दिनांक-10.08.2018 से सभी जिलों से प्रतिवेदन की माँग की गई थी, किंतु किसी भी जिला से कोटिवार प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है ।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में (3)तीन दिनों के अंदर निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाय :-

**जिला का नाम :-**

क्रम संख्या	कोटि	योजना से लाभान्वित कराये जाने वाले योग्य लाभुकों की संख्या
1	2	3
1	अनुसूचित जाति	
2	अनुसूचित जनजाति	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
4	अन्य	
5	कुल योग:-	

जापांक 389915

पटना, दिनांक 20/09/18

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विश्वासभाजन  
(कैवल तनुज)  
सरकार के संयुक्त सचिव

सरकार के संयुक्त सचिव